

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य कर (जीएसटी) विभाग

2 “वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा, ई-वे बिल प्रणाली शासन के राजस्व हितों की रक्षा में प्रभावी है और विभाग की ई-वे बिल प्रावधानों के प्रवर्तन में निवारक/प्रवर्तन संबंधी गतिविधियाँ कुशल एवं प्रभावी हैं, के आकलन के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, ई-वे बिल प्रणाली के कॉमन पोर्टल में कमियाँ पाई गईं। ई-वे बिल प्रणाली कॉम्पोजिट करदाताओं को उनकी अंतर्राज्यीय व्यापारिक लेन-देन के लिए ई-वे बिल बनाने, निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने, जोखिमयुक्त वाहनों/दो-पहिया वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ई-वे बिल बनाने, निरंक विवरणी (रिटर्न) जमा करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने, तथा जीएसटी विवरणी जमा न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने की अनुमति शामिल है। प्रणाली ने समान/समरूप बीजक के लिए एक से अधिक ई-वे बिल बनाने की भी अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने आगे 29 मामलों में अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुपालन न होने का अवलोकन किया, जिनमें कर देयता का निर्वहन न करने के (20 प्रकरण), अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ लेने के (चार प्रकरण), तथा आईटीसी के गलत हस्तांतरण के (पाँच प्रकरण) शामिल हैं, जिनका संभावित कर प्रभाव ₹ 20.34 करोड़ है।

पाँच करदाताओं ने जून 2021, अगस्त 2021 और मार्च 2022 के महीनों में ₹ 16.33 करोड़ के आंकलन योग्य मूल्य वाली बाह्य आपूर्तियों के लिए 143 ई-वे बिल बनाये, जिनके विरुद्ध बी-1 प्रतिवेदन अनुसार वाहन का परिवहन दर्ज नहीं था, परंतु सभी बीजकों को जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण हुआ। राज्य में 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 34.77 करोड़ के आंकलन योग्य मूल्य वाली बाह्य आपूर्तियों के लिए 25 ई-वे बिल अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से बनाये गए। चयनित 50 दर्ज ई-वे बिल प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में, विभाग द्वारा वाहनों की रोकथाम के दौरान वसूल किए गए कर और शास्ति का समायोजन में 8 दिन से 1981 दिन तक विलंब पाई गई तथा दो प्रकरणों में रोके गए वाहनों से कम कर और शास्ति की वसूली की गई।

2.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जिसमें ‘एक राष्ट्र एक कर’ की परिकल्पना पर आधारित अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला समाहित है। जीएसटी व्यवस्था का एक उद्देश्य, प्रक्रियात्मक देरी को कम करके वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही दक्षता में सुधार करना था। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) जीएसटी-पूर्व व्यवस्थाओं में भी मौजूद थे, जिसमें वस्तुओं की आवाजाही को मैनुअल रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्टों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। किसी राज्य में प्रवेश करने वाले वस्तु पर ‘प्रवेश कर’ लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी में समाहित कर लिया गया

है। ई-वे बिल¹ को कर प्रशासन के सरकारी निगरानी मॉडल से करदाता द्वारा स्व-प्रत्ययन मॉडल में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर चोरी को रोकना और जीएसटी संग्रह को बढ़ाना था। ई-वे बिल को गैर-व्यापार बाधाओं को समाप्त करने और पारगमन समय को कम कर आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है।


ई-वे बिल को 01 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य वाले सभी अंतर-राज्यीय माल के आवाजाही के लिए लागू किया गया। राज्य शासन द्वारा 01 जून 2018 से राज्य के भीतर माल की आंतरिक आवाजाही के लिए निर्धारित सीमा² से अधिक मूल्य वाले माल हेतु ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया। माल के कंसाइनमेंट से संबंधित जानकारी माल की आवाजाही से पहले प्रस्तुत की जानी होती है, और यह ई-वे बिल आपूर्ति से संबंधित हो या किसी अन्य कारण से हो, दोनों ही स्थितियों में जारी किया जाना आवश्यक है। ई-वे बिल के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 (सीजीजीएसटी अधिनियम) की धारा 68 तथा छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 (सीजीजीएसटी नियम) के नियम 138 (समय-समय पर संशोधित किए गए हैं) में निहित हैं।

2.2 विभाग की संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ शासन का राज्य कर-जीएसटी विभाग राज्य भर में राज्य प्रशासित करदाताओं के लिए जीएसटी लागू करने वाला सर्वोच्च इकाई है। विभाग का नेतृत्व शासन स्तर पर सचिव द्वारा किया जाता है। आयुक्त विभाग का प्रमुख होता है, और उनकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण एक विशेष आयुक्त³, तीन अतिरिक्त आयुक्त, वृत्त कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण, कर निर्धारण, प्रकरणों की निगरानी और निपटान के लिए संभागीय कार्यालयों में पाँच संयुक्त आयुक्त⁴ और 30 वृत्त कार्यालयों⁵ में सहायक आयुक्त का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, कर चोरी की रोकथाम के लिए संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) के नेतृत्व में दो संभागीय कार्यालय (प्रवर्तन) और संभाग में अपील प्रकरणों के निपटान के लिए संयुक्त आयुक्त (अपील) के नेतृत्व में तीन संभागीय कार्यालय (अपील) हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट नीचे चार्ट-2.1 में दिया गया है:

- 1 ई-वे बिल (प्रपत्र जीएसटी ई-वे बिल 01) माल की आवाजाही के लिए आवश्यक एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। ई-वे बिल के भाग-अ में आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, आपूर्ति का स्थान, दस्तावेज, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन), मान का मूल्य आदि का विवरण शामिल है, जबकि भाग-ब में परिवहन/वाहन का विवरण है।
- 2 छत्तीसगढ़ में 1 जून 2018 से राज्यंतर्गत आवाजाही सीमा ₹ 50,000 है।
- 3 बिलासपुर।
- 4 संभाग 1 एवं 2 बिलासपुर, संभाग 1 एवं 2 रायपुर एवं दुर्ग।
- 5 अंबिकापुर, भाटापारा, धमतरी, जांजगीर, कवर्धा, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, वृत्त 1 से 3 बिलासपुर, वृत्त 1 से 4 दुर्ग, वृत्त 1 एवं 2 जगदलपुर, वृत्त 1 एवं 2 कोरबा, वृत्त 1 एवं 2 रायगढ़, और वृत्त 1 से 9 रायपुर।

चार्ट-2.1 : विभाग का संगठनात्मक संरचना



ई-वे बिल (आपूर्ति के लिए प्रभावी) को सामान्य करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-1 विवरणी⁶ तथा कंपोजिट करदाता⁷ द्वारा जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 विवरणी⁸ के अंतर्गत आमतौर पर दर्शाए जाते हैं, और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत वृत्त अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

2.3 ई-वे बिल के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणाली

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल (www-ewaybillgst.gov.in) का प्रबंधन कर्नाटक स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ई-वे बिल बनाने के समय वाहन पंजीकरण संख्या को सत्यापित किया जा सके। 01 जनवरी 2021 से फास्टैग प्रणाली को ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर, ई-वे बिल बनाना, विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के उद्देश्य से करदाताओं का एक बार पंजीकरण आवश्यक है। उपयुक्त अधिकारी ई-वे बिल पोर्टल का उपयोग दो माध्यमों से कर सकते हैं:— (i) वेब ब्राउजर के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में दिए गए क्रेडेंशियल लॉगिन का उपयोग करके लॉग इन करना या (ii) जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली मोबाइल ऐप में लॉगिन करना। उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में ई-वे बिलों का सत्यापन, ई-वे बिलों का अनब्लॉक⁹ करना, एमआईएस प्रतिवेदन देखना और उन तक पहुंच प्राप्त करना आदि शामिल हैं, ताकि करदाता द्वारा दर्शाए गए कर योग्य टर्नओवर के सापेक्ष में कर योग्य वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी की जा सके।

6 मासिक विवरणी में सामान्य करदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बाह्य आपूर्ति का विवरण होता है।
 7 कंपोजिशन योजना के तहत करदाता द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नियमित जीएसटी दरों के बजाय अपने टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जीएसटी का भुगतान करते हैं।
 8 त्रैमासिक विवरणी में कंपोजिट करदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बाह्य आपूर्ति का विवरण होता है।
 9 करदाता द्वारा डिफॉल्ट अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने की स्थिति में क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा ई-वे बिल उत्पादन सुविधा को अनब्लॉक किया जा सकता है।

2.4 ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं

ई-वे बिल सिस्टम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल बनाना, विस्तार, तैयार ई-वे बिल को निरस्त करना और अस्वीकार करना, जिनकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

2.4.1 पोर्टल में पंजीयन

जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों, परिवहनकर्ता और अपंजीकृत व्यक्तियों/नागरिकों को ई-वे बिल बनाने के लिए आवश्यक विवरण जैसे राज्य, जीएसटीआईएन, वैधानिक नाम, पैन, मोबाइल नंबर, आदि प्रदान करके ई-वे बिल पोर्टल में खुद को नामांकित करना आवश्यक है। अपंजीकृत परिवहनकर्ताओं, जो अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही करते हैं, को ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा और 15 अंकों की विशिष्ट परिवहनकर्ता आईडी प्राप्त करनी होगी।

2.4.2 ई-वे बिल बनाना

ई-वे बिल को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-ए में विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जा सकता है (1) प्रेषक द्वारा, या (2) प्रेषक द्वारा प्राधिकरण के प्रकरण में परिवहनकर्ता द्वारा या यदि प्रेषक एक अपंजीकृत व्यक्ति है, या (3) प्राप्तकर्ता द्वारा। फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-बी को परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन से संबंधित जानकारी प्रदान करके अद्यतन किया जाना है। एकाधिक कंसाइनमेंट के लिए बनाये गये एकाधिक ई-वे बिल के प्रकरण में समेकित ई-वे बिल को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-02 में तैयार किया जा सकता है, लेकिन एक ही वाहन में परिवहन किया गया हो।

2.4.3 ई-वे बिल की वैधता

ई-वे बिल की वैधता उसकी दूरी और माल के प्रकार पर निर्भर करती है, जिसे परिवहन किया जाना है। वैधता की गणना उस दिनांक से की जाती है जिस दिन ई-वे बिल बनाया जाता गया हो (प्रासंगिक दिनांक), और यह वैधता की अवधि उस दिन की मध्यरात्रि तक मानी जाती है जो ई-वे बिल की बनाई गई तारीख के तुरंत अगले दिन समाप्त होती है।

2.4.4 ई-वे बिल का विस्तार

वैधता उन परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है, जिनमें माल को वैधता अवधि समाप्त होने के समय से आठ घंटे के भीतर परिवहन नहीं किया जा सकता है।

2.4.5 ई-वे बिल को निरस्त करना

जहां ई-वे बिल सीजीजीएसटी नियम, 2017 के तहत तैयार किया गया है, लेकिन माल का परिवहन नहीं किया गया है या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो इसे तैयारकर्ता द्वारा तैयार करने के 24 घंटे के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे ई-वे बिल को निरस्त नहीं किया जा सकता है जिसे नियम 138बी के प्रावधानों के अनुसार पारगमन में सत्यापित किया गया है।

2.4.6 ई-वे बिल की अस्वीकृति

तैयार ई-वे बिल का विवरण आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, और मालवाहक को परिवहन किए जा रहे माल की अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति को संप्रेषित करना आवश्यक है। यदि मालवाहक उक्त प्रेषण के 72 घंटे या माल की डिलीवरी के समय जो भी पहले हो, के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति को संप्रेषित नहीं करता है, तो ई-वे बिल को स्वीकार किया गया माना जाएगा।

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि क्या:

- (i) ई-वे बिल प्रणाली/तंत्र शासन के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी है।
- (ii) ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ कुशल और प्रभावी हैं।

2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130, आदि।
- सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59, 60, 61, 62, 80, 138, आदि।
- जीएसटी परिषद द्वारा अधिकृत अधिसूचनाएं/ परिपत्र/ निर्देश और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राज्य कर-जीएसटी विभाग (एसटीडी), छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए, और
- एनआईसी, सीबीआईसी और एसटीडी द्वारा जारी किए गए परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं।

2.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित ई-वे बिल लेनदेन को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र प्रदर्शन का परीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल के डेटा (तैयार) को वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया गया है। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया और रेलवे/हवाई मार्ग से माल की आवाजाही को इस लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ई-वे बिल के संदर्भ में विभाग के निवारक/प्रवर्तन कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और उस पर की गई कार्रवाई।

28 मार्च 2023 को सचिव, राज्य कर-जीएसटी विभाग, छत्तीसगढ़ के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा अप्रैल से दिसंबर 2023 के मध्य किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा की मसौदा प्रतिवेदन 26 जून 2024 को शासन को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी, साथ ही लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। शासन का उत्तर 18 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुआ और बर्हिगमन सम्मेलन 05 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई। शासन के उत्तर और टिप्पणियों को प्रासंगिक कांडिका में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.8 लेखापरीक्षा नमूनाकरण

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रयास किया गया है क्योंकि जीएसटी के तहत ई-वे बिल बनाने की सीमा के अधीन किसी भी माल की आवाजाही से पहले की आवश्यक शर्त है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए चिन्हित किये गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (केपीए)/जोखिम आयामों के आधार पर विकसित किए गए थे। शासन के

लिए राजस्व प्राप्ति में बाधा डालने वाले केपीए **परिशिष्ट-2.1** में दिए गए हैं। पांच वृत्तों¹⁰ के 30 करदाताओं के कुल 80 प्रकरणों को नमूने के रूप में लिया गया। नमूनों का चयन भारत-जोखिम दृष्टिकोण के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, पांच वृत्तों¹¹ के छह ई-वे बिल का एक नमूना भी चुना गया है जिसमें पांच प्रेषक शामिल हैं, जिनके पास समान स्थायी खाता संख्या (पैन) वाले प्राप्तकर्ताओं के साथ लेनदेन थे और एक प्राप्तकर्ता जिसने एक समान पैन वाले प्रेषक के साथ लेनदेन किया था।

इसके अलावा, राज्य क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाताओं के संबंध में ई-वे बिल से संबंधित डेटाबेस से पांच केपीए (**कंडिका 2.11.5** की **तालिका-2.8** में दर्शाए गए) पर आधारित नमूनों का एक बड़ा सेट भी चुना गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 ने प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया, जैसे परिचालन तैयारी, कर चोरी विरोधी उपायों की प्रभावशीलता और विभागांतर्गत और अंतर-विभागीय समन्वय। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, राज्य में मौजूद एक निवारक इकाई को लिया गया था। इसके अलावा, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए स्तरीकृत विधि (उनके द्वारा सत्यापित प्रकरणों के राशि के आधार पर) द्वारा निवारक इकाई से 603 में से 50 प्रकरणों को नमूने के रूप में लिया गया। इसके अलावा, 12 अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तैयार अतिरिक्त 25 ई-वे बिल जिनका कर योग्य मूल्य ₹ 40 लाख (छत्तीसगढ़ के लिए उच्चतम पंजीकरण सीमा) से अधिक है, का भी चयन किया गया ताकि विभाग द्वारा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में माल की आवाजाही की निगरानी की पुष्टि और सत्यापन किया जा सके और उन्हें पंजीकृत करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके।

2.9 ई-वे बिल आंकड़ों की प्रवृत्ति

लेखा परीक्षा अवधि (2018-19 से 2021-22) के दौरान राज्याधिकार के करदाताओं द्वारा कुल 95.92 लाख ई-वे बिल ₹ 4,73,042.64 करोड़ के मूल्य के लिए उत्पन्न किए गए, जिनमें से 0.06 लाख ई-वे बिल ₹ 487.96 करोड़ के लिए निरस्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.76 लाख ई-वे बिलों की वैधता बढ़ाई गई और ₹ 0.02 लाख ई-वे बिलों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत किया गया। राज्य में 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ई-वे बिलों के सृजन, विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के संदर्भ में समग्र प्रवृत्ति **तालिका-2.1** में दी गई है तथा नीचे चित्रात्मक प्रस्तुति में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1-2018-19 से 2021-22 के दौरान ई-वे बिल का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	ई-वे बिल बनाना		ई-वे बिल का विस्तार		ई-वे बिल का निरस्तीकरण		ई-वे बिल की अस्वीकृति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19	23,88,254	1,00,588.01	10,821	400.28	2,942	178.59	1,065	60.61
2019-20	22,98,079	1,00,836.91	47,660	1,686.67	1,290	108.81	503	29.66
2020-21	23,52,737	1,10,110.40	69,358	2,508.72	1,077	98.25	392	26.57
2021-22	25,53,075	1,61,507.32	1,48,377	8,217.54	1,077	102.31	203	18.18
योग	95,92,145	4,73,042.64	2,76,216	12,813.21	6,386	487.96	2163	135.02

(स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध डेटा)

¹⁰ वृत्त-3, 5, 7, 8 और 9 (रायपुर)।

¹¹ अंबिकापुर, वृत्त-2 (बिलासपुर), वृत्त-1 (दुर्ग), वृत्त-9 (रायपुर) और राजनांदगांव।

चार्ट-2.2: 2018-19 से 2021-22 के दौरान तैयार ई-वे बिल के परिवहन का माध्यम



(स्रोत: जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध डेटा)

2.10 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दो व्यापक परिप्रेक्ष्यों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् प्रणालीगत मुद्दे और अनुपालन मुद्दे। प्रणालीगत मुद्दों का उद्देश्य ई-वे बिल प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता से संबंधित कमियों को सामने लाना है, जबकि अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों/आदेशों आदि के विचलन से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की प्रभावशीलता पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.10.1 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18(2) कार्यालयों विभागों पर सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से और सभी उपयुक्त गति के साथ अनुपालन करने का वैधानिक कर्तव्य लगाती है।

इस संबंध में, सीबीआईसी के अध्यक्ष ने बोर्ड के डीओ पत्र एफ.सं.232/विविध डीएपी/2018-सीएक्स-7, दिनांक 26 अप्रैल 2018 के माध्यम से केंद्रीय जीएसटी कार्यालयों के प्रधान मुख्य आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों को पूर्ण और व्यापक जानकारी प्राप्त करके और प्रदान करके लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी के साथ सहयोग करने के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अभी तक इस प्रकार के निर्देश जारी किया जाना शेष है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने आयुक्त कार्यालय रायपुर के तहत नौ चयनित वृत्तों को 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए ई-वे बिल और जीएसटी विवरणी से संबंधित जानकारी और अभिलेख की मांग की गई। इसके अलावा, करदाताओं द्वारा तैयार आवक/जावक ई-वे बिल की सूची, ई-वे बिल से संबंधित बीजक, ट्रक/लॉरी रसीदें, ई-वे बिल से संबंधित अवधि के लिए वार्षिक खाते/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बीजक के साथ खरीद, बिक्री विवरण, स्टॉक सूची, जीएसटीआर-2ए/2बी की प्रति, आदि जैसे चयनित करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख भी मांगे गए ताकि जीएसटी का उपयुक्त निर्वहन, आईटीसी का लाभ, आनुपातिक आवक/जावक आपूर्ति अनुपात आदि पहलुओं की जांच की जा सके।

मांग और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, अधिकार क्षेत्र वाले वृत्तों ने चयनित 36 करदाताओं में से 32 करदाताओं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

अभिलेख प्रस्तुत न करना: वृत्तवार अभिलेख का प्रस्तुत न करना निम्नलिखित **तालिका-2.2** में संक्षेपित है। अभिलेख प्रस्तुत न करना की प्रकरण-वार सूची **परिशिष्ट-2.2** में दी गई है।

तालिका 2.2—अभिलेख प्रस्तुत न करना

स. क्र.	वृत्त	नमूना	प्रस्तुत न करना	अभिलेख प्रस्तुत न करने का प्रतिशत
		करदाता की संख्या	करदाता की संख्या	
1	वृत्त-3, रायपुर	12	11	92
2	वृत्त-5, रायपुर	09	08	89
3	वृत्त-7, रायपुर	03	03	100
4	वृत्त-8, रायपुर	05	05	100
5	वृत्त-9, रायपुर	02	02	100
6	वृत्त-1, दुर्ग	01	01	100
7	वृत्त-2, बिलासपुर	02	01	50
8	वृत्त राजनांदगांव	01	01	100
9	वृत्त अंबिकापुर	01	0	0
योग		36	32	89

इस प्रकार, विभाग ने 89 प्रतिशत नमूनों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और इनका लेखापरीक्षा केवल जीएसटीएन/ई-वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया गया। अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना/आंशिक प्रस्तुतिकरण लेखापरीक्षा की निर्बाध पहुंच में बाधक रहा और लेखापरीक्षा प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुशंसा क्रमांक 1: विभाग सीबीआईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अभिलेख समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी कर सकती है।

शासन के राजस्व हितों की रक्षा के लिए ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

2.11 मूल लेखापरीक्षा निष्कर्ष

करदाताओं के कर अनुपालन की जांच के लिए ई-वे बिल को आधार बनाया गया। चयनित 80 ई-वे बिल में से, प्रत्येक केपीए के अंतर्गत लेखापरीक्षा निष्कर्षों के धनराशि के संदर्भ में शीर्ष पांच प्रकरण नीचे **तालिका-2.3** में दिए गए हैं:

तालिका 2.3—धनराशि के संदर्भ में शीर्ष पांच प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	जीएसटीआईएन	वृत्त	समाहित कर राशि	समाहित केपीए की संख्या
1.	22XXXXXXXXXXXXZH	रायपुर-3	9.83	1
2.	22XXXXXXXXXXXXZG	रायपुर-3	2.31	5
3.	22XXXXXXXXXXXXZP	रायपुर-5	1.69	2
4.	22XXXXXXXXXXXXZC	रायपुर-3	1.15	4
5.	22XXXXXXXXXXXXZF	रायपुर-8	1.12	3

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रणालीगत मुद्दों पर प्रत्येक केपीए के अंतर्गत कंडिका 2.11.1.1 से 2.11.1.6 में चर्चा की गई है, ताकि पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव को उजागर किया जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जा सकें। राजस्व प्रभाव वाले मूल लेखापरीक्षा के परिणाम कंडिका 2.11.2.1 से 2.11.2.2 में दिए गए हैं, साथ ही विभाग द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रकरणवार विवरण भी दिए गए हैं।

2.11.1 प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या मौजूदा प्रणालियाँ और नियंत्रण ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे। इस संबंध में की गई टिप्पणियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में गई है:

2.11.1.1 अपात्र करदाताओं का कंपोजिशन योजना के अंतर्गत जारी रहना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा¹² से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(3) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन योजना के लिए लिया गया विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है। हालांकि, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(सी) में प्रावधान है कि यदि कोई करदाता माल की किसी अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति में लगा हुआ है, तो वह कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणी की जांच उपयुक्त अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि विवरणी की सत्यता की पुष्टि की जा सके और विवरणी में दर्शाई गई किसी भी विसंगति या असंगतता पर उपयुक्त कार्यवाई की जा सके। इस उद्देश्य के लिए नामित उपयुक्त अधिकारी वृत्त अधिकारी होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 द्वारा कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति पर रोक लगाने के बावजूद, ई-वे बिल प्रणाली कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने को नहीं रोक सकी।

¹² कंपोजिशन योजना के लिए पात्र बनने हेतु प्रति वर्ष निर्धारित सीमा 01 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच की अवधि के लिए एक करोड़ रुपये तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़ थी।

यह देखा गया कि दो वृत्तों¹³ के दो कंपोजिट करदाताओं ने दो ई-वे बिल के माध्यम से वस्तुओं की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति की थी। इस प्रकार, ई-वे बिल प्रणाली इन समग्र करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने को रोकने में विफल रही। हालांकि, आगे सत्यापन पर पाया गया कि एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZL) का पंजीकरण 01 अक्टूबर 2019 को उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया गया था, जबकि दूसरा करदाता निरंतर कंपोजिट योजना के अंतर्गत थे। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.3** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि एक प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ3) में ₹ 0.17 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-07 जारी किया गया, और दूसरे प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZL) में उत्तर दिया गया कि करदाता एक कंपोजिट डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था। हालांकि उत्तर के साथ, क्रय वापसी का सबूत जैसे क्रय देयक, क्रेडिट नोट/डेबिट नोट प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा गया कि अन्य प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ3) ने अंतर-राज्यीय जावक आपूर्तियों के लिए अक्टूबर 2018 में ₹ 2.90 लाख का एक ई-वे बिल तैयार किया था, हालांकि करदाता सितंबर 2017 से आज तक कंपोजिशन योजना के अंतर्गत थे। इस प्रकार, करदाता अक्टूबर 2018 से सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि वह निरंतर कंपोजिशन योजना के अंतर्गत थे।

अनुशंसा क्रमांक 2: अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार करने हेतु कंपोजिट लेवी योजना करदाता को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

2.11.1.2 निरस्त करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 63 के अनुसार जहां एक कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उपयुक्त अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। एक निरस्त करदाता ई-वे बिल तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि वह विवरणी दाखिल किए बिना आईटीसी हस्तांतरित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-वे बिल पोर्टल ने निरस्त करदाता द्वारा ई-वे बिल तैयार करने की अनुमति दी थी। यह देखा गया कि, तीन वृत्तों¹⁴ के सात करदाताओं ने जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद 55 ई-वे बिल बनाये थे। इसके अलावा, चार करदाता जिन्होंने बाह्य आपूर्ति की थी, उन्होंने अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। हालांकि, विभाग ने अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत कर देयता का आकलन नहीं किया और इस प्रकार शासन के राजस्व हितों की रक्षा नहीं की जा सकी। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है। कर प्रभाव पर **कंडिका 2.11.2** में चर्चा की गई है।

¹³ वृत्त-3 और 5 (रायपुर)।

¹⁴ वृत्त-3, 5 और 8 (रायपुर)।

इसे इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि छह प्रकरणों में ₹ 18.61 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं और शेष एक प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-8, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZF) ने जनवरी और फरवरी 2019 के दौरान ₹ 38.86 लाख के दो ई-वे बिल बनाए थे, लेकिन 25 जनवरी 2019 से उपयुक्त अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार, ई-वे बिल पंजीकरण निरस्त करने की प्रभावी तिथि के बाद बनाए गए थे।

अनुशंसा क्रमांक 3: निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर रोक लगाने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

2.11.1.3 समान/समरूप बीजक पर एकाधिक ई-वे बिल का बनाना

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (बी) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक जारी किया जाएगा जिसमें लगातार सरल संख्या होगा, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगा, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगा। एनआईसी द्वारा जारी उपयोगकर्ता मैनुअल के पैरा 5-1 के अनुसार, ई-वे बिल बनाते समय करदाता को माल से संबंधित विशिष्ट दस्तावेज संख्या दर्ज करना आवश्यक है। बीजक संख्या आपूर्ति से संबंधित कंसाइनमेंट के संबंध में विशिष्ट अभिलेख संख्या है। इसलिए, प्रत्येक बीजक के लिए केवल एक ई-वे बिल बनाया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समान या समरूप बीजक का उपयोग करके कई ई-वे बिल के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए ई-वे बिल सामान्य पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी थी। यह देखा गया कि चार वृत्तों¹⁵ से संबंधित पांच करदाताओं ने समान/समरूप बीजक के आधार पर माल की आवाजाही के लिए 10 ई-वे बिल तैयार किए थे। इस प्रकार, ई-वे बिल मॉड्यूल समान/समरूप बीजक के आधार पर कई ई-वे बिल तैयार करने का पता नहीं लगा सकी। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.08 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-01 जारी किया गया और एक प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZV) में उत्तर दिया गया कि प्रणाली में त्रुटि के कारण दो ई-वे बिल उत्पन्न हुए थे। शेष दो प्रकरणों (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZW और 22XXXXXXXXXXZ9) में डीआरसी-05 (कार्यवाही बंद करने की सूचना) जारी की गई है। हालाँकि, उत्तर के साथ सहायक अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा कि अन्य प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

¹⁵ वृत्त-5, 7, 8 और 9 (रायपुर)।

वृत्त-5, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ9) ने अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्तियों के लिए एक बीजक का उपयोग करके अगस्त और सितंबर 2018 में ₹ 29.88 लाख के दो ई-वे बिल तैयार किए थे।

अनुशंसा क्रमांक 4: कई ई-वे बिल तैयार करने में समान/समरूप बीजक के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

2.11.1.4 जोखिम भरे वाहनों/दो-पहिया वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल बनाना।

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138(2) के अनुसार, जहां माल को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषक के रूप में, चाहे अपने स्वयं के वाहन में या किराए के या सार्वजनिक वाहन से, सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, उक्त व्यक्ति फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 में ई-वे बिल तैयार करेगा। जहां माल को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता से संबंधित जानकारी सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परिवहनकर्ता द्वारा उक्त पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार किया जाएगा। ई-वे बिल-01 के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली ई-वे बिल को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने के बावजूद वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप के अनुसार दो-पहिया और अन्य जोखिम भरे वाहनों¹⁶ के नंबरों का पता नहीं लगा सकी, जिसके कारण जोखिम भरे वाहनों से संबंधित ई-वे बिल का बनाना अवरुद्ध नहीं किया जा सका।

यह देखा गया कि तीन वृत्तों¹⁷ के नौ करदाताओं से संबंधित ₹ 3.24 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले नौ ई-वे बिल लेनदेन दो-पहिया/जोखिम भरे वाहनों द्वारा किए गए थे। इसके अलावा, चार करदाताओं ने जीएसटीआर-1 विवरणी में संबंधित बाह्य आपूर्ति शामिल नहीं किया था। इसके अलावा, पांच करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में बाह्य आपूर्ति की सूचना दी थी और अपने प्राप्तकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दिया था, जैसा कि नीचे तालिका-2.4 में विस्तृत है। कर प्रभाव की चर्चा कंडिका 2.11.2 में की गई है।

तालिका 2.4-जोखिम भरे वाहनों/दो-पहिया वाहनों के साथ किए गए लेनदेन के लिए बनाये ई-वे बिल

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जीएसटीआईएन	वृत्त	ई-वे बिल क्रं/दिनांक	निर्धारण हेतु राशि	वाहन की प्रकृति
1.	22XXXXXXXXXXZV	रायपुर-5	861062323542 / 28 / 07 / 2019	1,18,64,238	दोपहिया
2.	22XXXXXXXXXXZS	रायपुर-5	831183989831 / 13 / 10 / 2021	1,47,03,334	दोपहिया
3.	22XXXXXXXXXXZH	रायपुर-3	891183695077 / 11 / 10 / 2021	5,65,652	चोरी हुई
4.	22XXXXXXXXXXZM	रायपुर-3	861016217262 / 23 / 08 / 2018	1,21,250	स्कैप
5.	22XXXXXXXXXXZL	रायपुर-9	891129659657 / 11 / 12 / 2020	98,048	स्कैप
6.	22XXXXXXXXXXZM	रायपुर-3	851123098656 / 01 / 11 / 2020	7,30,514	समर्पित

¹⁶ जोखिमपूर्ण वाहन: चोरी, समर्पित, निरस्त और स्कैप वाहन।

¹⁷ वृत्त-3, 5 और 9 (रायपुर)।

7.	22XXXXXXXXXXXXXZM	रायपुर-3	811072389191 / 10 / 10 / 2019	22,92,675	समर्पित
8.	22XXXXXXXXXXXXXZP	रायपुर-5	841137960702 / 27 / 01 / 2021	13,06,280	निरस्त
9.	22XXXXXXXXXXXXXZQ	रायपुर-3	891088786236 / 31 / 01 / 2020	7,40,480	निरस्त
योग				3,24,22,471	

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि पांच प्रकरणों में ₹ 10.30 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07 / डीआरसी-01 जारी किए गए हैं, तीन प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किए गए हैं और शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया है कि करदाता ने लेनदेन के संबंध में कर बीजक / बिल्टी प्रस्तुत की है। उत्तर में लेखापरीक्षा जांच के उस बिंदु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि माल का परिवहन दोपहिया वाहन के माध्यम से कैसे किया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी और लेखापरीक्षा को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-5, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXXZV) ने अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए 28 / 07 / 2019 को ₹ 1.19 करोड़ के लिए ई-वे बिल नंबर 861062323542 बनाया था। वाहन पोर्टल / एम-परिवहन ऐप पर ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन नंबर की जांच करने पर पाया गया कि वाहन की श्रेणी मोटर-साइकिल / स्कूटर थी। इसके अलावा, करदाता ने इस लेनदेन की सूचना जीएसटीआर-1 विवरणी में दी थी। इसलिए, पूरी संभावना है कि करदाता ने माल की आवाजाही के बिना ₹ 0.21 करोड़ का आईटीसी पास किया हो, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

अनुशंसा क्रमांक 5: माल के परिवहन के लिए वाहन डेटाबेस के माध्यम से उपयुक्त वाहन विवरणों के सत्यापन के बाद ही ई-वे बिल का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए।

2.11.1.5 निरंक विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का बनाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59, नियम 61 और नियम 62 के साथ, कंपोजिट करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा और जीएसटीआर-3बी में उस पर कर देयता का निर्वहन करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजिशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें जीएसटीआर-4 / एसटी-सीएमपी-08 विवरणी में कर का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा ई-वे बिल और जीएसटीएन पोर्टल के बीच समन्वय में कमजोरी पाई गई क्योंकि उत्तरवर्ती द्वारा निरंक विवरणी जमा करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने की स्थिति की पहचान नहीं की जा सकी और इस प्रकार करदाताओं द्वारा टर्नओवर में कमी करने का पता नहीं लगा / रोका जा सका।

यह पाया गया कि चार वृत्तों¹⁸ से संबंधित आठ करदाताओं (एक कंपोजिशन करदाता सहित) ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 0.45 करोड़ के मूल्यांकन योग्य राशि के लिए आठ ई-वे बिल तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने संबंधित कर अवधि के लिए निरंक

¹⁸ वृत्त-3, 5, 7 और 8 (रायपुर)।

जीएसटीआर-1/3बी/सीएमपी-08 विवरणी दाखिल किया था। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.6** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि पांच प्रकरणों में ₹ 0.51 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं, एक प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया गया है और एक प्रकरण में उत्तर दिया गया है कि प्रणाली त्रुटियों के कारण दो ई-वे बिल उत्पन्न हुए थे। शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया कि करदाता एक कंपोजिशन डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल उत्पन्न हुआ था। हालाँकि उत्तर के साथ खरीद विवरणी के प्रमाण जैसे खरीद बिल, क्रेडिट नोट/डेबिट नोट प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरण से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किया जाएगा। आगे कहा गया कि अन्य प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे विस्तार से बताया गया है:

वृत्त-5, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZ8) ने जनवरी 2019 के माह में बाह्य आपूर्तियों के लिए ₹ 4.46 लाख के कर मूल्य वाला एक ई-वे बिल बनाया था। हालाँकि, करदाता ने उक्त माह के लिए निरंक जीएसटीआर-1/3बी विवरणी दाखिल किया था।

2.11.1.6 जीएसटी विवरणी जमा न करने वालों द्वारा ई-वे बिल का बनाना

सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 138ई, पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल बनाने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, परिवहनकर्ता या ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी सहित व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसने निर्धारित लगातार अवधि¹⁹ के लिए संबंधित जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं किया है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर 01 दिसंबर 2019 से ब्लॉकिंग कार्य क्षमता लागू की गई है।

लेखापरीक्षा ने 01 दिसंबर 2019 के बाद ई-वे बिल बनाने को अवरुद्ध करने और रिटर्न फाईल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने के प्रकरणों में कमियों को देखा। वृत्त-3, रायपुर के चार करदाताओं के प्रकरण में, जो रिटर्न फाईल नहीं करते थे, उन्होंने 2018-19 से 2020-21 के दौरान 45 ई-वे बिल बनाये थे। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिया गया है। कर प्रभाव की चर्चा **कंडिका 2.11.2** में की गई है।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXZC) ने प्रभावी बाह्य आपूर्ति के लिए 04 दिसंबर 2019 को एक ई-वे बिल (831080342629) तैयार किया था, अर्थात् ई-वे बिल 01 दिसंबर 2019 के बाद बनाया था, यद्यपि उसने लगातार दो कर अवधि के लिए जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं किया था।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि सभी चार प्रकरणों में ₹ 6.97 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-07 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

¹⁹ सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो लगातार तिमाहियों के लिए प्रपत्र जीएसटी-सीएमपी-08 तथा सामान्य करदाताओं के लिए दो लगातार कर अवधियों के लिए जीएसटीआर-3बी, जैसा भी लागू हो।

अनुशंसा क्रमांक 6: निर्धारित अवधि के लिए विवरणी दाखिल न करने वाले करदाताओं के लिए ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अवरुद्ध करने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए।

2.11.2 राजस्व प्रभाव वाली कमियाँ (अनुपालन मुद्दे)

लेखापरीक्षा ने कर देयता के निर्वहन नहीं करने (20 प्रकरण), अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने (चार प्रकरण), आईटीसी को गलत तरीके से हस्तांतरित करने (पांच प्रकरण) से संबंधित अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के 29 प्रकरणों को देखा, जिसमें ₹ 20.34 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है, जिनकी चर्चा क्रमशः कंडिका 2.11.2.1 से 2.11.2.3 में की गई है। कपीए-वार अवलोकन नीचे तालिका-2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5-लेखापरीक्षा का परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रमुख समस्या क्षेत्र	पाई गई प्रकरणों की संख्या	संबंधित राशि
1	कंपोजिट करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बाह्य ई-वे बिलों बनाने से कर के भुगतान नहीं होना	2	0.17
2	समान/समरूप बीजक पर एकाधिक ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	5	0.07
3	निरंक जीएसटी विवरणी जमा करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने से कर के भुगतान नहीं करना	5	0.05
4	जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वालों द्वारा ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	2	2.29
5	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	3	3.45
6	जोखिमपूर्ण वाहनों में ई-वे बिल बनाने से कर का भुगतान नहीं होना	3	11.52
योग		20	17.55
7	अवैध आईटीसी का लाभ उठाना	4	2.51
8	जोखिमपूर्ण वाहनों के साथ ई-वे बिल बनाने से आईटीसी का गलत पारित होना	5	0.28
महायोग		29	20.34

2.11.2.1 करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59 और नियम 61 के साथ पठित, कंपोजिट करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का निर्वहन जीएसटीआर-3बी में करना होगा। कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 में कर का भुगतान करना होगा। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के अनुसार, कर योग्य माल की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति कर बीजक जारी करेगा, जिसमें माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, दर्शाए जाएंगे। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 में प्रावधान है कि ई-वे बिल बनाने के लिए, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो माल की आवाजाही करता है, उसे उक्त माल से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी। सीजीजीएसटी की धारा 50(1) अधिनियम, 2017 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कर का भुगतान करने में विफल रहता है या उसका कोई हिस्सा जमा

नहीं किया जाता है, उसे ब्याज का भुगतान करना होगा जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच वृत्तों²⁰ से संबंधित 20 करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान बाह्य आपूर्ति करने के लिए 1,789 ई-वे बिल तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीएसटीआर-1/सीएमपी-08 विवरणी में ₹ 82.07 करोड़ की बाह्य आपूर्ति को शामिल नहीं किया है और इस प्रकार, अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। जैसा कि **परिशिष्ट-2.8** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इन प्रकरणों में कर देयता का निर्वहन न करने की राशि ₹ 17.55 करोड़ (ब्याज और शास्ति को छोड़कर) थी।

इंगित किए जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि 13 प्रकरणों में ₹ 19.94 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं। तीन प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है। एक प्रकरण में उत्तर दिया गया कि प्रणाली त्रुटि के कारण दो ई-वे बिल थे। इसके अलावा, दूसरे प्रकरण में उत्तर दिया गया कि करदाता एक कंपोजिशन डीलर था और माल की वापसी के लिए ई-वे बिल बनाया। हालांकि उत्तर के साथ, खरीद विवरणी का सबूत जैसे खरीद बिल, क्रेडिट नोट/डेबिट नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था। शेष दो प्रकरणों में डीआरसी-05 (कार्यवाही के समापन की सूचना) जारी किया गया है। हालांकि, उत्तर के साथ अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा कि अन्य प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

उदाहरणात्मक प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) वृत्त-8, रायपुर से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZF) ने बाह्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 15.77 करोड़ के कर योग्य मूल्य के साथ 189 ई-वे बिल तैयार किए थे। हालांकि, करदाता द्वारा जनवरी और फरवरी 2019 माह में जीएसटीआर-3बी विवरणी में केवल ₹ 9.53 करोड़ की बाह्य आपूर्ति घोषित की गई थी और करदाता द्वारा ₹ 1.72 करोड़ का कर चुकाया गया था। इसलिए, करदाता ने ₹ 6.24 करोड़ की बाह्य आपूर्ति घोषित नहीं की थी और ₹ 1.12 करोड़ का कर नहीं चुकाया था। करदाता का पंजीकरण 25 जनवरी 2019 से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार ₹ 1.12 करोड़ की कर देयता थी।

(ii) वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक अन्य करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXX XXXZC) ने नवंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच बाह्य आपूर्ति के लिए ₹ 6.39 करोड़ के मूल्यांकन योग्य राशि के कुल 86 ई-वे बिल तैयार किए। हालांकि, करदाता ने नवंबर 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के लिए जीएसटीआर-1/3बी विवरणी दाखिल नहीं किया था और इन लेनदेन पर कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। विवरणी दाखिल न करने के कारण करदाता का पंजीकरण 01 नवंबर 2019 से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, उनके पास ₹ 1.15 करोड़ (ब्याज को छोड़कर) की कर देयता थी।

हालांकि, उपरोक्त प्रकरणों में यह देखा गया कि निरस्तीकरण आदेश 21 जून 2019 और 21 जनवरी 2020 को जारी किए गए थे इस प्रकार, पूर्वव्यापी आदेश पारित करते समय, उपयुक्त अधिकारी द्वारा, ई-वे बिल और विवरणी के बीच भिन्नता की जांच नहीं की गई थी।

2.11.2.2 अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए

²⁰ वृत्त-3, 5, 7, 8 और 9 (रायपुर)।

जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए आईटीसी लेने का हकदार होगा और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 को सीजीजीएसटी नियम, 2017 सहपठित नियम 60 अनुसार आईटीसी के मिलान, वापसी और पुनः प्राप्ति का प्रावधान है। जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित एक गतिशील कर विवरणी है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता अपना जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल करता है, तो क्यकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर की जानकारी उसके जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 में स्वतः भर जाती है। जीएसटीआर-2ए का मिलान सामान्यतः करदाता द्वारा जीएसटीआर-3बी विवरणी अथवा वार्षिक जीएसटीआर-9 विवरण के माध्यम से प्राप्त किये गये आईटीसी से मेल खाना चाहिए। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) में प्रावधान है कि, जो करदाता आईटीसी का अनुचित या अधिक दावा करते हैं, उन्हें जो 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा उसी दर से ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो वृत्तों²¹ के चार करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुसार ₹ 19.60 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने करदाताओं के जीएसटीआर-2ए/जीएसटीआर-9 से पाया कि उनके लिए उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 17.09 करोड़ थी। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 2.51 करोड़ की आईटीसी का लाभ लेना उपयुक्त नहीं था और अधिनियम की धारा-50(3) के तहत ₹ 2.51 करोड़ की गलत आईटीसी प्राप्त राशि को ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक है। इनका विवरण परिशिष्ट-2.9 और तालिका-2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6-अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाना

स. क्र.	जीएसटीआईएन	वर्ष	जीएसटीआर 2ए अनुसार उपलब्ध आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(ए) अनुसार]	जीएसटीआर-3बी अनुसार ली गई आईटीसी [जीएसटीआर-9 के 8(बी+सी) अनुसार]	दावा की गई अयोग्य आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(डी) अनुसार]
1	22XXXXXXXXXXXXZR	2018-19	6,68,05,192	8,45,10,814	1,77,05,622
		2019-20	6,09,83,798	6,51,32,051	41,48,253
2	22XXXXXXXXXXXXZZ	2019-20	1,23,07,036	1,23,40,613	33,577
3	22XXXXXXXXXXXXZN	2019-20	74,96,148	1,03,84,534	28,88,386
4	22XXXXXXXXXXXXZQ	2021-22	2,33,47,675	2,36,68,065	3,20,390
योग			17,09,39,849	19,60,36,077	2,50,96,228

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.06 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) के डीआरसी-07/डीआरसी-01 जारी किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए एक प्रकरण (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZR) में, करदाता द्वारा डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 0.05 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी को उलट दिया गया है और 2019-20 के प्रकरण के लिए एएसएमटी-12 (उत्तर की स्वीकृति का आदेश) जारी किया गया था। शेष एक प्रकरण में (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZZ) डीआरसी-05 (कार्यवाही बंद करने की सूचना) जारी की गई थी। हालांकि, उत्तर के साथ कोई सहायक अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि संबंधित सहायक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान किए जाएंगे।

उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

²¹ वृत्त-3 और 7 (रायपुर)।

वृत्त-3, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX ZR) ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-3बी विवरणी में ₹ 14.97 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया था, लेकिन करदाता के जीएसटीआर-2ए में ₹ 12.78 करोड़ का आईटीसी उपलब्ध था। इस प्रकार, करदाता द्वारा ₹ 2.19 करोड़ की आईटीसी का लाभ लेना उपयुक्त नहीं था और अधिनियम की धारा-50(3) के तहत गलत आईटीसी राशि ₹ 2.19 करोड़ के साथ ब्याज की वसूल की जानी आवश्यक है।

2.11.2.3 जोखिम भरे वाहनों के ई-वे बिल बनाना-संभवतः गलत आईटीसी का पारित होना

सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा। जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया विवरण जीएसटीआर-2ए में माल के प्राप्तकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से शामिल हो जाएगा, ताकि वे आईटीसी का दावा कर सकें। एनआईसी²² ने ई-वे बिल पोर्टल के साथ वाहन डेटाबेस को एकीकृत किया था और फास्टैग डेटाबेस के साथ वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया था। एनआईसी द्वारा भी 01 जनवरी 2021 से संबंधित वाहनों की आवाजाही का विवरण (मानचित्र में) स्रोत एवं गंतव्य पिनकोड के आधार पर सभी ई-वे बिलों के उद्गम एवं गंतव्य स्थान को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि दो वृत्तों²³ से संबंधित पांच करदाताओं ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बाह्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए ₹ 1.56 करोड़ के पांच ई-वे बिल तैयार किए थे, जैसा कि परिशिष्ट-2.10 में विस्तृत है। वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप पर ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन संख्याओं के सत्यापन पर, यह देखा गया कि वाहन की स्थिति जोखिम भरे वाहनों²⁴/दोपहिया वाहन के रूप में उल्लिखित थी। हालांकि, इन करदाताओं द्वारा जमा जीएसटीआर-1 से यह देखा गया कि उन्होंने अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में उक्त लेनदेन की सूचना दी थी और इस तरह संभवतः ₹ 0.29 करोड़ का आईटीसी हस्तांतरित किया था, जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। यह माल की वास्तविक आवाजाही के बिना आईटीसी के संभावित हस्तांतरित होने की ओर भी इशारा करता है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि तीन प्रकरणों में डीआरसी-07 ₹ 7.20 करोड़ (ब्याज एवं शास्ति सहित) जारी किया गया है। एक प्रकरण में एसएमटी-10 जारी किया गया है और शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया है कि करदाता ने लेनदेन के संबंध में कर बीजक/बिल्टी प्रस्तुत की है। हालांकि, उत्तर में लेखापरीक्षा जांच के उस बिंदु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि माल का परिवहन दोपहिया वाहन के माध्यम से कैसे किया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि निराकृत प्रकरणों से संबंधित वांछित अभिलेख जो आगे नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, अविलंब प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा गया कि अन्य प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

रायपुर के वृत्त-3 के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXX XZM) ने 10/10/2019 को ₹ 0.04 करोड़ के कर मूल्य के साथ ₹ 0.23 करोड़ मूल्य के

²² एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।

²³ वृत्त-3 और 5 (रायपुर)।

²⁴ ई-वे बिल बनाने में दो-पहिया वाहनों, चोरी, स्क्रेप, आत्मसमर्पण और निरस्त वाहनों का उपयोग।

माल की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल (811072389191) तैयार किया था। वाहन पोर्टल/एम-परिवहन ऐप पर ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन संख्या की जाँच करने पर पता चला कि वाहन की श्रेणी 'समर्पित वाहन' थी। इसके अलावा, लेन-देन को प्रेषक के जीएसटीआर-1 में प्रतिवेदन किया गया था। इस प्रकार, माल की संदिग्ध आवाजाही पर ₹ 0.04 करोड़ के आईटीसी के हस्तांतरित होने की संभावना है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए।

2.11.3 क्रॉस-पैन विश्लेषण

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25(4) और 25(6) के अनुसार, कई राज्यों में जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ कई जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। क्रॉस-पैन शुल्क एक कर योग्य व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक पैन के तहत पंजीकरण वाले किसी अन्य व्यक्ति को माल और सेवाओं की आपूर्ति करता है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1(2) और धारा 25 के अनुसार, एक ही पैन वाले विभिन्न जीएसटी पंजीकरणों के बीच किसी भी आपूर्ति को बिना किसी प्रतिफल के किए जाने पर भी आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) में यह प्रावधान है कि, प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कर का भुगतान अथवा कोई हिस्सा बकाया रहने पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पांच वृत्तों²⁵ से संबंधित छह करदाताओं की पहचान कर नमूना जांच की, जिन्होंने 2018-19 से 2021-22 के दौरान क्रॉस-पैन लेनदेन किए थे, ताकि उनके कर अनुपालन का पता लगाया जा सके जैसे कर देयता का निर्वहन, जीएसटी विवरणी में शामिल किए गए बीजक के लिए ई-वे बिल का बनाना, समान/समरूप बीजक के लिए कई ई-वे बिल का बनाना और आईटीसी का लाभ उठाना। देखी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

• जीएसटीआर-1 में ई-वे बिल के लेन-देनों को दर्ज नहीं किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, वृत्त-1, दुर्ग के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZA) ने 03 फरवरी 2020 को ई-वे बिल संख्या 871089160813 तैयार करके उसी पैन (जीएसटीआईएन 37XXXXXXXXXXXXZZ) वाले माल प्राप्तकर्ता को ₹ 1.76 करोड़ के कर योग्य मूल्य के माल की अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति की थी। आगे की जांच में पाया गया कि ई-वे बिल में संदर्भित बीजक को न तो जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्ज किया गया है और न ही जीएसटीआर-3बी में ₹ 0.30 करोड़ का कर चुकाया गया है। इसलिए, वह ₹ 0.30 करोड़ का कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता को ₹ 0.56 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का डीआरसी-07 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

• माल की संदिग्ध आवाजाही पर आईटीसी का संभावित हस्तांतरित होना

वृत्त-9, रायपुर से संबंधित एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXZ5) ने 01 नवंबर 2021 को उत्पन्न ई-वे बिल संख्या 831187004552 का उपयोग करके उसी पैन (जीएसटीआईएन 23XXXXXXXXXXXXZ3) वाले माल प्राप्तकर्ता को अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति की थी। हालांकि, ई-वे बिल में उल्लेखित वाहनों का विवरण एनआईसी

²⁵ अंबिकापुर, वृत्त-2 (बिलासपुर), वृत्त-1 (दुर्ग), वृत्त-9 (रायपुर), राजनांदगांव।

पोर्टल जो वाहनों की आवाजाही को रिकॉर्ड करता है या उसी दिन किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाया गया। इस प्रकार, माल की गैर-आवागमन की संभावना थी, जिसके लिए बीजक बनाया गया था और ई-वे बिल तैयार किया गया था। हालांकि, जैसा कि करदाता द्वारा दायर जीएसटीआर-1 में देखा गया; उनके द्वारा उक्त लेन-देन को जीएसटीआर-1 विवरणी में बताया गया और इस तरह संभवतः ₹ 0.15 करोड़ का आईटीसी हस्तांतरित किया गया, जिसकी जांच की जानी चाहिए। यह माल की वास्तविक आवाजाही के बिना आईटीसी के हस्तांतरित होने की संभावना की ओर भी इशारा करता है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि करदाता को ₹ 0.15 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) का एसएमटी-10 जारी किया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

• आईटीसी का अतिरिक्त लाभ लेना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन तथा धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से, उसे दी गई किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए आईटीसी लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वृत्तों²⁶ के तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुसार ₹ 29.18 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने करदाताओं के जीएसटीआर-2ए में देखा कि उनके लिए उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 27.29 करोड़ थी। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 1.90 करोड़ की आईटीसी का लाभ लेना उपयुक्त नहीं था और इसे अधिनियम की धारा-50(3) के तहत ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। विवरण नीचे दी गई **तालिका-2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7-इनपुट टैक्स क्रेडिट का अतिरिक्त लाभ

(राशि ₹ में)					
स. क्र.	जीएसटीआईएन	वर्ष	जीएसटीआर 2ए अनुसार उपलब्ध आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(ए) अनुसार]	जीएसटीआर-3बी अनुसार ली गई आईटीसी [जीएसटीआर-9 के 8(बी+सी) अनुसार]	दावा की गई अयोग्य आईटीसी [जीएसटीआर 9 के 8(डी) अनुसार]
1	22XXXXXXXXXXXXZ7	2019-20	10,13,95,325	10,90,09,281	76,13,956
		2020-21	14,09,42,067	15,14,65,132	1,05,23,065
2	22XXXXXXXXXXXXZ7	2020-21	2,70,24,642	2,74,17,346	3,92,704
3	22XXXXXXXXXXXXZN	2020-21	35,22,552	39,49,537	4,26,985
योग			27,28,84,586	29,18,41,296	1,89,56,710

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दो प्रकरणों में करदाताओं को एसएमटी-10 जारी कर दिया गया है और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हालांकि, एक करदाता से ₹ 6.15 लाख (ब्याज सहित) की राशि वसूल की गई है। शेष एक प्रकरण में उत्तर दिया गया कि करदाता को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

²⁶ अंबिकापुर, वृत्त सर्कल-2 (बिलासपुर) और वृत्त सर्कल-1 (दुर्ग)।

अनुशंसा क्रमांक 7: विभाग ई-वे बिल के सत्यापन और एक ही पैन के साथ कई पंजीकरण वाले करदाताओं के विवरणी की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

2.11.4 करदाताओं से ई-वे बिल अनब्लॉक करने के अनुरोधों पर की गई कार्यवाही

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 (ई) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति (प्रेषक, माल प्राप्तकर्ता, परिवहनकर्ता, ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी सहित) को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-ए में जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसने आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के रूप में 01 दिसंबर 2019 से लगातार दो कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 (ई) के अनुसार आयुक्त को फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-05 में पंजीकृत व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण दिखाए जाने और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों पर, जीएसटी-ई-वे बिल-06 में आदेश द्वारा, जीएसटी-ई-वे बिल-01 के भाग ए में उक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

रायपुर आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (08 दिसंबर 2023) के अनुसार दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 के दौरान करदाताओं द्वारा 21 अनब्लॉकिंग आवेदन दायर किए गए, जिनमें से 18 करदाताओं के आवेदन अनब्लॉकिंग के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 वृत्तों²⁷ के 15 करदाताओं ने दिसंबर 2020 में ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन दायर किए थे, लेकिन उनके आवेदन कर अधिकारी के पास लंबित थे। रायपुर आयुक्त कार्यालय में लंबित आवेदनों के कारण उपलब्ध नहीं थे।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

2.11.5 ई-वे बिल के डेटा विश्लेषण में पाई गई टिप्पणियाँ (समग्र लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ)

ई-वे बिल से संबंधित केंद्रीय डेटाबेस विश्लेषण से 30 वृत्तों²⁸ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 1,719 करदाताओं (मूल लेखापरीक्षा नमूने को छोड़कर) का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया। लेखापरीक्षा ने केपीए के आधार पर 2018-19 से 2021-22 के दौरान बनाये ई-वे बिल पर डेटा का विश्लेषण किया। विभाग के साथ साझा की गई समग्र टिप्पणियों का विवरण नीचे दी गई तालिका-2.8 में दिया गया है

तालिका 2.8-समग्र लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

स. क्र.	समग्र टिप्पणियाँ की प्रकृति	करदाता की संख्या
1	कंपोजिट करदाता द्वारा अंतर राज्यीय ई-वे बिल बनाना	63
2	निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिट करदाता द्वारा ई-वे बिल बनाना	1
3	जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाना	293
4	निरस्त करदाता द्वारा ई-वे बिल बनाना	152
5	एक ही बीजक का उपयोग करके डुप्लीकेट ई-वे बिल बनाना	1,210
योग		1,719

²⁷ वृत्त-2 (बिलासपुर), वृत्त-2 और 3 (दुर्ग), वृत्त-2 (जगदलपुर), वृत्त-2 (रायगढ़), वृत्त-1, 2, 3 और 7 (रायपुर), धमतरी और जांजगीर।

²⁸ अंबिकापुर, भाटापारा जांजगीर, कवर्धा, महासमुंद, मनेंद्रगढ़, वृत्त-1 से 3 (बिलासपुर), सर्लसीई-1 से 4 (दुर्ग), वृत्त-1 और 2 (जगदलपुर), वृत्त-1 और 2 (कोरबा), वृत्त 1 और 2 (रायगढ़), वृत्त-1 से 9 (रायपुर), धमतरी और राजनांदगांव।

उपरोक्त टिप्पणियां विभाग को (सितंबर, 2023) और शासन को (जून 2024) भेजी गईं।

इंगित किये जाने पर (जून 2024) शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले वृत्तों से संबंधित सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अन्य संभागों से संबंधित वृत्तों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि अन्य संभागों द्वारा की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को भेजी जाएगी।

अनुशंसा क्रमांक 8: करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार ई-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग विभाग कर सकता है और विवरणी की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार के प्राधिकारियों के साथ साझा कर सकता है।

ई-वे बिल प्रावधानों से संबंधित विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष।

2.12 विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ

राज्य कर-जीएसटी विभाग के आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र (मई 2018) के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी किसी भी अधिकारी को अंतर-राज्यीय और राज्यांतर्गत माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी भी वाहन को रोकने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कर चोरी की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किसी भी अधिकारी द्वारा वाहन और उसमें शामिल माल का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है।

किसी भी वाहन पर परिवहन किए जा रहे माल का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापन हो जाने के बाद, उक्त वाहन या माल का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फिर से कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर चोरी से संबंधित कोई विशिष्ट सूचना बाद में उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।

इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्र में परिवहन में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों को रोकने और उल्लंघन करने वाले माल और वाहनों को रोकने, छोड़ने और जब्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 और 130, जो शास्ति से संबंधित है, ई-वे बिल और/या वाहनों के सत्यापन के संबंध में विभाग द्वारा की गई निवारक गतिविधियों पर लागू होगी।

दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने विभाग के ई-वे बिल संबंधित प्रतिरोधात्मक/प्रवर्तनात्मक कार्यों की जांच की, जिसमें विशेष रूप से निम्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया (i) संचालनात्मक तत्परता, (ii) कर चोरी रोकथाम उपायों की प्रभावशीलता, और (iii) ई-वे बिल संबंधित लेन-देन की निगरानी में विभागांतर्गत समन्वय।

यह देखा गया कि राज्य में ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कोई समर्पित व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान निवारक/प्रवर्तन कार्य जैसे वाहनों को रोकना तथा ई-वे बिल, बीजक, डिलीवरी बीजक इत्यादि का सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संरचनाओं के कार्यरत कर्मचारियों के साथ नामित निरीक्षण दलों द्वारा किए गए। आयुक्त, राज्य कर के निर्देशन में ई-वे बिल निगरानी कार्य का प्रभार एक अतिरिक्त आयुक्त को दिया गया है।

रायपुर आयुक्त कार्यालय में संधारित वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन पर निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गईं।

2.12.1 विभाग की परिचालन संबंधी तैयारियां

रायपुर आयुक्त कार्यालय के अधिनस्थ निवारक इकाई के पास न तो ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कोई समर्पित व्यवस्था है और न ही ई-वे बिल प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित कोई अलग से कर्मचारी हैं।

2.12.1.1 मानव संसाधन की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समर्पित व्यवस्था एवं कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए कार्यपालक शाखाओं से मानव संसाधनों को तैनात किया गया।

2.12.1.2 पर्याप्त गश्ती वाहनों की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल सत्यापन के लिए कोई समर्पित सरकारी वाहन आवंटित नहीं किया गया था। ई-वे बिल निरीक्षण के लिए क्षेत्र कार्यालय और मुख्यालय से सरकारी वाहनों के साथ-साथ किराए के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

यह देखा गया कि निवारक इकाई ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान किराए के वाहनों की मांग की थी, हालांकि वर्ष 2021-22 में कोई मांग नहीं की गई।

2.12.1.3 लक्ष्य और उपलब्धियां

लेखापरीक्षा में वाहन अवरोधों के माध्यम से ई-वे बिल के सत्यापन के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उनके समक्ष उपलब्धियों का विवरण मांगा गया। विभाग ने उत्तर दिया कि ई-वे बिल के सत्यापन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। ई-वे बिल सत्यापन अधिकारी/टीम को यादृच्छिक रूप से प्रतिनियुक्त करके किया गया और वे उन्हीं वाहनों को रोकते हैं जिन पर ई-वे बिल न होने का संदेह होता है।

2.12.1.4 एमआईएस²⁹ प्रतिवेदन/डीजीएआरएम³⁰-अन्य संस्थाओं की प्रतिवेदन का उपयोग

एनआईसी ई-वे बिल लेनदेन पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करता है और केंद्र और राज्य संरचनाओं के तहत जीएसटी विभागों के साथ साझा करता है। लेखापरीक्षा ने अध्ययन किया कि ई-वे बिल के सत्यापन की योजना बनाने के लिए विभाग द्वारा इन प्रतिवेदनों का किस सीमा तक उपयोग किया गया था। परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(अ) एनआईसी का एमआईएस:

- (i) यह देखा गया कि विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों तक पहुंच आयुक्त/अपर आयुक्तों/संयुक्त आयुक्तों/सहायक आयुक्तों/मुख्य आयुक्त को प्रदान की गई थी।
- (ii) विभाग न तो जोखिम भरे ई-वे बिल की पहचान के लिए एनआईसी/किसी अन्य समर्पित आईटी शाखा द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों को उपयोग कर रहा था और न ही वाहनों को रोकने के विकल्प का उपयोग कर रहा था। हालांकि, एनआईसी की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन या किसी अन्य एजेंसी के अनुसार जोखिम भरे ई-वे बिल (करदाता) का विवरण उसी संभाग/वृत्त के उप आयुक्त/सहायक आयुक्त के साथ उनके अवलोकन के लिए साझा किया जाता है।

(ब) डीजीएआरएम या अन्य संस्थाओं की प्रतिवेदन:

²⁹ एमआईएस: प्रबंधन सूचना प्रणाली।

³⁰ डीजीएआरएम: महानिदेशक: विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन।

विभाग ने लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान डीजीएआरएम या किसी अन्य संस्था की प्रतिवेदन से कोई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं की।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि सेटअप प्रगति पर है और आगे कहा कि वर्तमान में सभी अधिकारी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग कर रहे हैं।

2.12.2 ई-वे बिल से संबंधित लेन-देन की निगरानी में विभागांगरगत समन्वय

ई-वे बिल सीधे माल की आवाजाही से जुड़ा हुआ है और निवारक शाखा को ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन कार्यों का प्रभार सौंपा गया है। एनआईसी ने विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार की हैं और आयुक्त कार्यालय में निवारक शाखा के पास एनआईसी पोर्टल के माध्यम से उन प्रतिवेदनों तक पहुंच है। ई-वे बिल लेन-देन पर कर देयता का भुगतान करदाताओं द्वारा आवधिक विवरणी के माध्यम से किया जाएगा और इस प्रकार क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी, जैसे वृत्त अधिकारी विवरणी और मूल्यांकन की जांच के लिए उपयुक्त अधिकारी हैं। विभाग में निवारक शाखा और विभागांगरगत समन्वय द्वारा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों के उपयोग की प्रभावशीलता सीमा की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

2.12.2.1 अपंजीकृत करदाताओं द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी

सीजीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 20 लाख और माल के आपूर्तिकर्ता के लिए ₹ 40 लाख से अधिक है, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 16 के अनुसार, जहां, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत किसी भी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या किसी अन्य कार्यवाही के बाद, सक्षम अधिकारी पाता है कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है, ऐसा अधिकारी उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पंजीकृत कर सकता है और फॉर्म जीएसटी आरइजी-12 में आदेश जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाया कि राज्य में अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बाह्य आपूर्ति के लिए ₹ 34.77 करोड़ के मूल्यांकन योग्य मूल्य के 25 ई-वे बिल तैयार किए गए थे। इनमें से प्रत्येक ई-वे बिल का मूल्यांकन योग्य मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था। इन ई-वे बिल के आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को जांच एवं अपंजीकृत व्यक्तियों को कर के सीमा में लाने के लिए आवश्यक कार्यवाई के लिए (नवंबर 2023) भेजा गया था।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरणों की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्यवाई की जाएगी।

2.12.2.2 माल की गैर-परिवहन की निगरानी

एनआईसी द्वारा बनाई गई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों में से एक वाहनों की गैर-परिवहन प्रतिवेदन है, जिस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं³¹ के संबंध में ई-वे बिल तैयार किए गए थे (बी-1 प्रतिवेदन)।

चयनित पांच करदाताओं के प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पाया कि उन्होंने जून 2021, अगस्त 2021 और मार्च 2022 के महीनों के दौरान ₹ 16.33 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाली बाह्य आपूर्ति के लिए 143 ई-वे बिल तैयार किए, जिसके विरुद्ध बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार

³¹ बिस्कुट, कोयला, खाद्य तेल, बिजली, जूते, लोहा और इस्पात, कपड़ा और तंबाकू।

वाहन की आवाजाही दर्ज नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने इन ई-वे बिल में उल्लिखित बीजकों को संबंधित जीएसटीआर-1 विवरणी के साथ सत्यापित किया और पाया कि सभी करदाताओं के संबंध में, सभी बीजक जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्ज किए गए थे।

चूंकि, करदाताओं ने इन बीजकों को अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्ज किया था, इसलिए यह माल के प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-2ए विवरणी में स्वतः ही जमा हो गया होगा। इस प्रकार, एनआईसी की बी1 प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, माल की वास्तविक आवाजाही के बिना ₹ 2.94 करोड़ की अनियमित आईटीसी को माल प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित करने की संभावना थी, जैसा कि नीचे तालिका-2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9—माल की आवाजाही के बिना आईटीसी हस्तांतरित करना

स. क्र.	जीएसटीआईएन	बी-1 प्रतिवेदन का माह	बीजको की संख्या	निर्धारण राशि	कर राशि	प्रेषित आईटीसी की राशि
1	22XXXXXXXXXXXXXZK	जून-21	101	11.15	2.01	2.01
2	22XXXXXXXXXXXXXZ5	जून-21	33	4.17	0.75	0.75
3	22XXXXXXXXXXXXXZS	जून-21	4	0.75	0.14	0.14
4	22XXXXXXXXXXXXXZS	अगस्त-21	2	0.13	0.02	0.02
5	22XXXXXXXXXXXXXZQ	मार्च-22	2	0.13	0.02	0.02
योग			142	16.33	2.94	2.94

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: ई-वे बिल और जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा/सूचना)

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान सचिव ने कहा कि प्रकरणों की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-2, रायगढ़ के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन 22XXXXXXXXXXXXXZK) ने जून 2021 के महीने में ₹ 11.15 करोड़ के कर योग्य मूल्य के माल की बाह्य आपूर्ति के लिए 101 ई-वे बिल बनाए थे। लेकिन, बी-1 प्रतिवेदन के अनुसार ई-वे बिल में उल्लिखित वाहनों की कोई आवाजाही नहीं थी। चूंकि, कोई वाहन आवाजाही नहीं थी, इसलिए यह संभावना बनती है कि उक्त करदाता द्वारा अपने जीएसटीआर-1 विवरणी में बीजक को दर्शाकर लगभग ₹ 2.01 करोड़ का आईटीसी प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया हो।

अनुशंसा क्रमांक 9: विभाग ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए एनआईसी ई-वे बिल तंत्र के विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग मॉड्यूल को जीएसटीएन कॉमन पोर्टल के साथ मैप करने पर विचार कर सकता है।

2.13 कर चोरी प्रतिरोधात्मक उपायों की प्रभावशीलता

2.13.1 वाहनों को रोककर जांच करने के लिए दिशा-निर्देश

विभाग ने मई 2018 में एक परिपत्र³² जारी किया था, जिसमें माल के परिवहन के दौरान वाहनों को रोककर निरीक्षण करने और ई-वे बिल के सत्यापन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया था। परिपत्र के अनुसार, जब किसी वाहन को रोका जाता है, तो सक्षम अधिकारी को वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान फॉर्म जीएसटी एमओवी-01 में दर्ज करना

³² परिपत्र सं. 06/2018 (सीटी/टेक/2018/4226) दिनांक 08 मई 2018।

होता है और भौतिक सत्यापन के लिए फॉर्म जीएसटी एमओवी-02 में आदेश जारी करना होता है। सक्षम अधिकारी, फॉर्म जीएसटी एमओवी-02 जारी होने के 24 घंटे के भीतर, सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-03 के भाग-ए में एक प्रतिवेदन अपलोड करेगा। सक्षम अधिकारी फॉर्म जीएसटी एमओवी-04 में भौतिक सत्यापन/निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा और भौतिक सत्यापन के तीन दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-03 के भाग-बी में अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज करेगा।

यदि निरीक्षण में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो फॉर्म जीएसटी एमओवी-05 में रिहाई आदेश जारी किया जाएगा और वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि माल और वाहन को सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अंतर्गत रोके जाने की आवश्यकता होती है, तो सक्षम अधिकारी फॉर्म जीएसटी एमओवी-06 में जप्ति आदेश जारी करेगा और फॉर्म जीएसटी एमओवी-07 में नोटिस देगा और सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(1) के अंतर्गत देय कर और शास्ति निर्दिष्ट करते हुए वाहन के प्रभारी व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 में मांग आदेश देगा। जहां प्रस्तावित कर और शास्ति फॉर्म जीएसटी एमओवी-06 जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत माल और वाहन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए रायपुर आयुक्त से संबंधित 603 में से 50 दर्ज प्रकरणों को जांच के लिए चुने गए और पाए गए विचलन **परिशिष्ट-2.11** और नीचे **तालिका-2.10** में दिए गए हैं:

तालिका 2.10—रोकी गई वाहनों की जांच में देखी गई कमियां

स. क्र.	जांच में देखी गई कमियां का विवरण	दर्ज प्रकरणों एवं उनमें पाई गई कमियां की संख्या
1	जब वाहनों को रोका गया और ई-वे बिल से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तब जीएसटी-एमओवी-01 में वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया गया।	10
2	वाहन की भौतिक जांच के लिए आदेश जीएसटी-एमओवी-02 में जारी नहीं किया गया।	11
3	जीएसटी-एमओवी-04 में निरीक्षण प्रतिवेदन वाहन के प्रभारी व्यक्ति को प्रदान नहीं की गई।	13
4	जीएसटी-एमओवी-05 में माल वाहन के लिए रिहाई आदेश उपलब्ध नहीं थे।	10
5	अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने या दोषपूर्ण अभिलेखों आदि के मामले में जीएसटी-एमओवी-06 में रोक का आदेश उपलब्ध नहीं थे।	10
6	माल की जांच के परिणामस्वरूप जीएसटी-एमओवी-07 में कारण बताओ नोटिस उपलब्ध नहीं थे।	10
7	जीएसटी-ई-वे बिल-03 (भाग-बी) में अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट लंबित थी।	02

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने एक प्रकरण में उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि प्रारंभिक चरण में चूंकि कानून नया था और ऑनलाइन ई-वे बिल और भी नया था, इसलिए कुछ अनजाने प्रक्रियात्मक कमियां थीं, जिससे कोई राजस्व हानि नहीं हुई और दूसरे प्रकरण में उत्तर दिया कि जीएसटी एमओवी-01 से 09 की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सीबीआईसी का परिपत्र 13 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था और प्रकरण का

निपटारा परिपत्र से पहले ही कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य प्रकरणों में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि वर्तमान में सभी अधिकारी वाहनों को रोकने के लिए सीबीआईसी और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का पालन कर रहे हैं।

2.13.2 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान एकत्र किए गए कर और जुर्माने की मांग जारी न करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (1) के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी माल का परिवहन करता है, ऐसे सभी माल और वाहन, जो उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ऐसे माल और वाहन से संबंधित अभिलेख हिरासत में लिए जा सकते हैं या जब्त किए जा सकते हैं और हिरासत में लिए जाने या जब्त किए जाने के बाद, उन्हें छोड़ दिया जाएगा,—(अ) ऐसे माल³³ पर देय कर के सौ प्रतिशत के बराबर लागू कर और जुर्माने का भुगतान करने पर और छूट प्राप्त माल के प्रकरण में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये के बराबर राशि का भुगतान करने पर, जो भी कम हो, जहां माल का मालिक ऐसे कर और जुर्माने के भुगतान के लिए आगे आता है।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र³⁴ के अनुसार फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 में आदेश जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा कार्यवाही से उत्पन्न देयता को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में शामिल किया जाएगा।

रायपुर आयुक्त कार्यालय से संबंधित 34 दर्ज प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां देखीं, जिनका विवरण तालिका-2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11—कमियों का विवरण

स. क्र.	जांच में देखी गई कमियां का विवरण	प्रकरणों की संख्या	समाहित राशि (₹ लाख में)		
			कर	शास्ति	योग
1	वाहनों की रोक के दौरान वसूले गए कर और शास्ति की समायोजन में देरी।	30	16.59	27.49	44.07
2	वाहन रोकने के दौरान वसूल की गई कर और शास्ति, के समायोजन को सुनिश्चित किए बिना ही वाहनों की रिहाई की गई।	2	0.98	0.98	1.96
3	रोके गये वाहनों पर कर एवं शास्ति का कम आरोपण	2	1.41	0.96	2.37
योग		34	18.98	29.43	48.40

विस्तृत अवलोकन नीचे दिए गए हैं:

2.13.2.1 रोके गये वाहनों पर एकत्र किए गए कर और शास्ति के समायोजन में देरी

लेखापरीक्षा ने पाया कि दर्ज किए गए 30 ई-वे बिल प्रकरणों में, विभाग ने वाहनों के अवरोधन के दौरान करदाताओं से एकत्र किए गए ₹ 44.07 लाख के कर और जुर्माने का

³³ 01 जनवरी 2022 से, देय राशि को देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के रूप में संशोधित किया गया था।

³⁴ परिपत्र सं. 06/2018 (सीटी/टेक/2018/4226) दिनांक 08 मई 2018।

समायोजन सुनिश्चित किए बिना माल वाहनों को छोड़ दिया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कर और शास्ति विभाग द्वारा 8 से 1,981 दिनों की देरी से समायोजित किया गया था। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.12** में दिया गया है।

यह देखा गया कि 30 प्रकरणों में से 11 में, लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद करदाताओं द्वारा डीआरसी-03 के माध्यम से अपने नकद बही खाते में भुगतान करके देनदारियों को समायोजित किया गया था और शेष 19 प्रकरणों में, कर और शास्ति देरी से समायोजित की गई।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि इसे भविष्य के लिए टीप किया जाएगा और कहा कि दर्ज किए गए शेष 553 प्रकरणों की कर और शास्ति के समायोजन के लिए जांच की जाएगी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

29 मई 2018 को सक्षम अधिकारी द्वारा एक वाहन को रोका गया और प्रपत्र जीएसटी एमओवी-09 में कर और शास्ति की मांग के लिए आदेश जारी किया गया (29 मई 2018) जिसमें वाहन प्रभारी व्यक्ति को ₹ 0.27 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। यह देखा गया कि मांग 29 मई 2018 को जमा कर दी गई थी और उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) में जमा कर दी गई थी। हालांकि, यह पाया गया कि, देयता को विभाग द्वारा समायोजन नहीं किया गया था और देयता को 17 अक्टूबर 2023 को उनके ईसीएल को डेबिट करके समायोजित किया दिया गया, अर्थात् लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ईसीएल में 1,967 दिनों के बाद (अगस्त 2023) क्रेडिट किया। चूंकि ईसीएल में क्रेडिट की उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक कि इसे कर देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता है, इसलिए 1,967 दिनों तक ₹ 0.27 लाख शासकीय खाते से बाहर रहे।

2.13.2.2 वाहनों को रोकने के दौरान वसूले गए कर और शास्ति का समायोजन सुनिश्चित किए बिना वाहनों को छोड़ना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दर्ज किए गए दो ई-वे बिल प्रकरणों में, विभाग ने अन्य राज्यों के करदाताओं के माल वाहनों को रोकते समय ₹ 1.96 लाख का कर और शास्ति वसूल किया। यह देखा गया कि कर और शास्ति बीजक के माध्यम से जमा किया गया था और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को पत्र जारी किए गए थे। हालांकि, कर और शास्ति के समायोजन की पुष्टि केवल एक प्रकरण के लिए उपलब्ध थी। चूंकि, बीजक के माध्यम से शासकीय खातों में जमा की गई राशि का उपयोग कर क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है, इसलिए विभाग को संबंधित राज्य से उनके समायोजन की पुष्टि करने की आवश्यकता है। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.13** में दिया गया है।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि कर और शास्ति के समायोजन के लिए प्रकरणों की जांच की जाएगी।

2.13.2.3 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान कर और शास्ति कम वसूलना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल के तहत दर्ज दो प्रकरणों में विभाग ने उपयुक्त कर और शास्ति वसूल किये बिना ही मालवाहक वाहनों को छोड़ दिया। पहले प्रकरण में वाहन ई-वे बिल के बिना माल ले जा रहा था और दूसरे प्रकरण में प्रपत्र जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग-2-बी में वाहन संख्या अद्यतन नहीं थी। इसलिए, सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (1) के तहत ₹ 2.82 लाख का कर और शास्ति लगाया और वसूला जाना चाहिए था, हालांकि विभाग ने केवल ₹ 0.45 लाख का कर और शास्ति लगाया और

वसूल किया, जिससे ₹ 2.37 लाख का कर और शास्ति कम वसूल किया गया। इनका विवरण **परिशिष्ट-2.14** में दिया गया है।

इंगित किये जाने पर (जून 2024), शासन ने एक प्रकरण में उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि कर की कोई चोरी नहीं हुई थी। त्रुटि प्रक्रियात्मक और तकनीकी कारणों से हुई थी। दूसरे प्रकरण में, इसने उत्तर दिया कि 03.11.2020 को डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 25,000/- की राशि जमा की गई थी। उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं था क्योंकि पहले प्रकरण में वाहन के अवरोधन के समय परिवहन किए गए माल के लिए कोई ई-वे बिल नहीं था और दूसरे प्रकरण में एक अवैध ई-वे बिल था क्योंकि भाग-2-ब में वाहन संख्या अपडेट नहीं थी। इसलिए, धारा 129 के तहत कर और शास्ति लगाया जाना है जो इन प्रकरणों में नहीं किया गया था।

बर्हिगमन सम्मेलन (दिसंबर 2024) के दौरान, सचिव ने कहा कि प्रकरणों की जांच की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा क्रमांक 10: विभाग दर्ज शेष प्रकरणों का सत्यापन कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों की जांच के दौरान वसूल किया गया कर और शास्ति सही था और क्या उन्हें समायोजित किया गया था।

2.14 निष्कर्ष

जीएसटी प्रणाली के तहत ई-वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य सरकारी राजस्व के हितों की रक्षा में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता और ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में निवारक/प्रवर्तन संरचनाओं की दक्षता को सत्यापित करना था।

ई-वे बिल प्रणाली में अपंजीकृत व्यक्तियों/नागरिकों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वे बिल बनाना और इसका सत्यापन, विस्तार, निरस्तीकरण, अस्वीकृति आदि शामिल हैं। 01 दिसंबर 2019 से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर विवरणी न भरने वालों की ई-वे बिल बनाने की कार्य क्षमता को अवरुद्ध करना सक्षम किया गया था। एनआईसी ने ई-वे बिल पोर्टल के साथ वाहन डेटाबेस को एकीकृत किया था और फास्टैग डेटाबेस के साथ वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया था। एनआईसी 01 जनवरी 2021 से संबंधित वाहनों की आवाजाही का विवरण (मानचित्र में) भी प्रदान करता है, जो स्रोत और गंतव्य पिन कोड आदि के आधार पर सभी ई-वे बिल की प्रारंभ और गंतव्य को दर्शाता है।

उपरोक्त पहलुओं के बावजूद, मौजूदा ई-वे बिल प्रणाली में ई-वे बिल और जीएसटीएन पोर्टलों को आपसी इंटरलिंग से संबंधित पर्याप्त प्रणालीगत कमियां बनी रही हैं, जो प्रणाली द्वारा पता नहीं लगाई जा सकीं। इन कमियों के कारण अपात्र करदाता जीएसटी के सामान्य करदाता के दायरे में लाए बिना कंपोजिशन योजना के अंतर्गत बने रहे, निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल तैयार किए गए/एक ही बीजक पर कई ई-वे बिल/जोखिम भरे वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल/विवरणी न दाखिल करने वालों द्वारा ई-वे बिल/अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल इत्यादि तैयार किए गए।

प्रणालीगत कमियों के अतिरिक्त, ठोस लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कर देयता का निर्वहन न करने (20 प्रकरण), अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने (चार प्रकरण), आईटीसी को गलत तरीके से हस्तांतरित करने (पांच प्रकरण) जैसे अनुपालन मुद्दों का पता चला, जिसमें ₹ 20.34 करोड़ के संभावित कर शामिल थे।

इसके अलावा, चिन्हित किये गए कपीए से संबंधित ई-वे बिल के डेटा विश्लेषण के माध्यम से ₹ 631.49 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले 1,719 प्रकरणों का भी केंद्रीय रूप से पता लगाया गया, जिनका राजस्व प्रभाव ₹ 108.10 करोड़ था और उन्हें आगे की सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभाग के साथ साझा किया गया है।

इस प्रकार, यद्यपि तंत्र को वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन राजस्व प्रभाव वाले कमजोरियों/विचलन के प्रकरणों का लेखापरीक्षा के दौरान पता चला, जिस पर विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है।

निवारक तंत्र के संबंध में, ई-वे बिल सत्यापन के लिए कोई समर्पित सेटअप और अलग से कर्मचारी नहीं थे। ई-वे बिल सत्यापन करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं था। विवरणी में जांच में उपयोग करने के लिए करदाताओं के अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के साथ विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन साझा करने की प्रणाली में कमी पाई गई।

2.15 अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है:

1. **ई-वे बिल प्रणाली में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने की आवश्यकता है:**
 - अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति से ई-वे बिल बनाने से समग्र लेवी योजना करदाता को रोकना;
 - निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर प्रतिबंध;
 - कई ई-वे बिल बनाने में समान/समरूप बीजक के उपयोग पर रोकथाम;
 - माल के परिवहन के लिए वाहन डेटाबेस के माध्यम से उपयुक्त वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही ई-वे बिल बनाना सुनिश्चित करना;
 - उन करदाताओं के लिए ई-वे बिल बनाने की सुविधाओं को अवरुद्ध करें जिन्होंने निर्धारित अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया है।
2. **विभाग निम्न कार्य कर सकता है:**
 - सीबीआईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभिलेखों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश करें;
 - ई-वे बिल के सत्यापन एवं एक ही पैन पर उनके पंजीकरण किये गये करदाताओं के विवरणियों की जांच हेतु दिशा-निर्देश जारी करें;
 - करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में कमियों का पता लगाने के लिए एनआईसी द्वारा तैयार ई-वे बिल की विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का उपयोग करे और विवरणी की जांच में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा करे;
 - माल की आवाजाही के बिना आईटीसी हस्तांतरित होने के प्रकरणों को रोकने के लिए जीएसटीएन सामान्य पोर्टल के साथ एनआईसी ई-वे बिल तंत्र के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन मॉड्यूल की मैपिंग करने पर विचार करे;
 - वाहनों की अवरोधन के दौरान एकत्र किए गए कर और शास्ति सही थे और क्या उन्हें समायोजित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए दर्ज किए गए शेष प्रकरणों को सत्यापित करें।